फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

अपीलार्थी :– श्री हगामी बाई | प्रत्यर्थी :– देवीलाल वगैरह | सन् : 2022

केस्म मुकदमा :– अपील | प्रकरण संख्या :– 05 / 22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	दिनांक : 04.03.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता नरेश जणवा उपस्थित। प्रकरण लम्बे समय से रेस्पोडेंट्स संख्या 3 व 4 की तामील में नियत है। अपीलांट अधिवक्ता को सम्मन प्रोसेस पेश करने हेतु दिनांक 30.09.2024, दिनांक 11.12.2024 एवं 12.02.2025 को अन्तिम अवसर दिए गए बावजूद रेस्पोडेंट तामील हेतु सम्मन प्रोसेस पेश नहीं किए गए तथा नहीं आज भी न्यायालय समय समाप्ति तक सम्मन प्रोसेस पेश नहीं किए गए है। जिससे जाहिर है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गंभीर नहीं है तथा अपनी अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः अपील अपीलांट सम्मन प्रोसेस पेश करने के कई अवसर दिए जाने के बावजूद पेश नहीं किए जाने से इसी स्तर पर तामील के अभाव में खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर (सोनिका कुमारी) IAS उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर	